बिहार विधान सभा सचिवालय

विवरणिका

बिहार विधान सभा में दिनांक-25.07.2019 को सदन द्वारा अनुमोदित संशोधन संबंधित प्रस्ताव के अनुसरण में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-156(2), 164, 197, 279, 280 एवं 292(ट) में संशोधन के प्रावधान को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार किया गया है । यह विवरणिका के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

(बटेश्वर नाथ पाण्डेय) 25/07/19
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स० नियम-04/2016- 924 /वि०स०, पटना, दिनांक- 25 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा, पटना / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार / माननीय संसदीय कार्य मंत्री, बिहार / माननीय मंत्रीगण, बिहार / मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

25/7/19
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स० नियम-04/2016- 924 /वि०स०, पटना, दिनांक- 25 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महाधिवक्ता, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना / महासचिव, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / महासचिव, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सचिव, सभी राज्यों के विधान सभा / विधान परिषद् / निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार / महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

25/7/19
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स० नियम-04/2016- 924 /वि०स०, पटना, दिनांक- 25 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।

25/7/19

(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स० नियम-04/2016- 924 /वि०स०, पटना, दिनांक-25 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक / उप सचिव / अवर सचिव एवं श्रव्य एवं दृष्य ईकाई शाखा (बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/7/19

(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञापांक-वि०स० नियम-04/2016- 924 /वि०स०, पटना, दिनांक-25 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 20 (बीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

25/7/19

(राजीव कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

25-7-19

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

नियम समिति वर्ष 2019-20

चतुर्थ प्रतिवेदन

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में संशोधन

(दिनांक 22.7.19 को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा सचिवालय

नियम समिति के माननीय सदस्यगण

1.	श्री विजय कुमार चौधरी	अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
2.	श्री सुशील कुमार मोदी	उप मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य
3.	श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव	मंत्री, उर्जा विभाग	सदस्य
4.	श्री श्रवण कुमार	मंत्री, संसदीय कार्य विभाग	सदस्य
5.	श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा	मंत्री, शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव	नेता विरोधी दल	सदस्य
7.	श्री सदानन्द सिंह	स०वि०स०	सदस्य
8.	श्री तारकिशोर प्रसाद	स०वि०स०	सदस्य
9.	श्री महबूब आलम	स०वि०स०	सदस्य
10.	श्री राजू तिवारी	स०वि०स०	सदस्य
11.	श्री मो० नेमतुल्लाह	स०वि०स०	सदस्य

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण

1.	श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय,	सचिव
2.	श्री राजीव कुमार,	उप सचिव
3.	श्री नवीन,	माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव
4.	श्री संजीव कुमार,	अवर सचिव
5.	श्री नीरज आनन्द,	सहायक

प्राक्कथन

बिहार विधान सभा के कार्य संचालन में वर्त्तमान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में कतिपय संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । इसकी समीक्षा हेतु एक उप समिति का गठन किया गया । उप समिति ने नियमावली के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा कर संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए उप समिति के सदस्यगण बधाई के पात्र हैं । तदुपरान्त मुख्य समिति ने उप समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों की समीक्षा की एवं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के निम्न प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है । नियम 156(2), 164, 197, 279, 280 एवं 292(ट) में संशोधन की अनुशंसा की गई है ।

अतएव प्रस्तावित संशोधन सदन के सहमति हेतु प्रस्तुत है ।

पटना- 22.7.19

दिनांक-

(विजय कुमार चौधरी)
सभापति,
नियम समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

नियम समिति

नियम समिति की उप समिति द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-156(2), 164, 197, 279, 280 एवं 292(ट) में अनुशंसित संशोधन संबंधी प्रस्ताव निम्न प्रकार हैं :-

1. नियमावली के नियम-156(2) की अंतिम पंक्ति के शब्द समूह ''वापस लिया गया'' को शब्द ''व्यपगत'' से प्रतिस्थापित किया जाए ।

वर्त्तमान एवं संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
156(2). यदि वे सदस्य पुकारे जाने पर अनुपस्थित हों तो उनके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से उनके नाम पर रखा संकल्प प्रस्तावित कर सकेंगे । किन्तु यदि कोई सदस्य इस प्रकार प्राधिकृत न किये गये हों या ऐसी अनुज्ञा न दी जाय तो संकल्प वापस लिया गया समझा जाएगा ।	156(2). यदि वे सदस्य पुकारे जाने पर अनुपस्थित हों तो उनके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से उनके नाम पर रखा संकल्प प्रस्तावित कर सकेंगे । किन्तु यदि कोई सदस्य इस प्रकार प्राधिकृत न किये गये हों या ऐसी अनुज्ञा न दी जाय तो संकल्प व्यपगत समझा जाएगा ।

2. नियमावली के नियम-164 के अन्त में एक नया परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जाए ।

वर्त्तमान एवं संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
164. यदि किसी गृहीत संकल्प पर सत्र के दौरान विमर्श न हो, तो वह संकल्प वापस लिया गया समझा जायेगा ।	164. यदि किसी गृहीत संकल्प पर सत्र के दौरान विमर्श न हो, तो वह संकल्प वापस लिया गया समझा जायेगा । परन्तु यदि कोई गृहीत संकल्प सदन में प्रस्तावित न किया गया हो तो वैसे संकल्प व्यपगत समझे जायेंगे ।

3. नियमावली के नियम-197 के मुख्य शीर्षक में से शब्द ''गोपनीय'' विलोपित किया जाए ।

वर्त्तमान एवं संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
197. समिति की गोपनीय बैठकें- समिति की बैठकें गोपनीय होंगी ।	197. समिति की बैठकें- समिति की बैठकें गोपनीय होंगी ।

4. नियमावली के नियम-279 'ख' को 'घ' के रूप में पुनर्नामित करते हुए दो नया मद 'ख' एवं 'ग' निम्न रूप में जोड़ा जाए ।

वर्त्तमान एवं संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
प्रत्यायुक्त विधान समिति नियम-279. समिति का कृत्य- (क) समिति इस बात की छानबीन कर सदन को प्रतिवेदन देगी कि विधान मंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने वाले नियम, परिनियम के ढाँचे के भीतर उचित उपयोग में लायी गयी हैं या नहीं । (ख) समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें ।	प्रत्यायुक्त विधान समिति नियम-279. समिति का कृत्य- (क) समिति इस बात की छानबीन कर सदन को प्रतिवेदन देगी कि विधान मंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने वाले नियम, परिनियम के ढाँचे के भीतर उचित उपयोग में लायी गयी हैं या नहीं । (ख) समिति इस बात की समीक्षा करेगी कि राज्य विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक निर्धारित अवधि के अन्दर प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में नियम, विनियम, उप नियम या उप विधि बनाये गए हैं अथवा नहीं । (ग) समिति इस बात की भी समीक्षा करेगी कि राज्य विधान मंडल से पारित अधिनियम के अधीन बने नियम, विनियम, परिनियम, उप नियम एवं उप विधि विधान सभा के पटल पर रखे गये हैं अथवा नहीं । (घ) समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें ।

5. नियमावली के नियम-280 के चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''जिन्हें सदन के सामने रखना अपेक्षित है'' को शब्द समूह ''का सदन के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होगा तथा सदन पटल पर निर्धारित अवधि तक रखे जाने के उपरान्त यह स्वत: समिति के विचारार्थ सौंपा गया समझा जायेगा'' से प्रतिस्थापित किया जाए ।

वर्त्तमान एवं संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
प्रत्यायुक्त विधान समिति नियम-280. ''विनियम'', ''नियम'', ''उप नियम'', ''उप विधि'' आदि का संख्यांकन और प्रकाशन- सभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकार को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाया गया हर ''विनियम'', ''नियम'', ''उपनियम'', ''उप विधि'' आदि, जिन्हें सदन के सामने रखना अपेक्षित है और जिन्हें इस नियमावली में आये ''आदेश'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सदन नेता के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा यथाविहित नियमों के अधीन उनके प्रख्यापित और संख्यांकित होने के तुरंत बाद गजट में प्रकाशित किया जाएगा ।	प्रत्यायुक्त विधान समिति नियम-280. ''विनियम'', ''नियम'', ''उप नियम'', ''उप विधि'' आदि का संख्यांकन और प्रकाशन- सभा द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकार को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाया गया हर ''विनियम'', ''नियम'', ''उपनियम'', ''उप विधि'' आदि का सदन के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होगा तथा सदन पटल पर निर्धारित अवधि तक रखे जाने के उपरांत यह स्वत: समिति के विचारार्थ सौंपा गया समझा जायेगा और जिन्हें इस नियमावली में आये ''आदेश'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, सदन नेता के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा यथाविहित नियमों के अधीन उनके प्रख्यापित और संख्यांकित होने के तुरंत बाद गजट में प्रकाशित किया जाएगा ।

6. नियमावली के नियम-292 ट की कंडिका-3 ''क'' एवं ''ख'' को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए ।

वर्त्तमान एवं संशोधित प्रावधान निम्न प्रकार है:-

वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति	आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति
नियम-292ट(3). समिति का कृत्य- (क) केन्द्रीय सहायता राशि एवं राज्य निधि से संपोषित योजनाएँ समिति के सम्परीक्षण की परिधि में आएगी और समिति समय-समय पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं विचार-विमर्श कर प्रतिवेदन के माध्यम से अनुशंसा करेगी । (ख) समिति अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें ।	नियम-292ट(3). समिति का कृत्य- (क) राज्य में राजस्व संग्रहण के लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा एवं राजस्व अभिवृद्धि हेतु राजस्व के नए स्रोतों के सृजन पर विचार कर अनुशंसा करना । (ख) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रीय अंशदान स-समय उपलब्ध हो रहा है या नहीं तथा राज्य सरकार का सामानुपातिक अंशदान समय पर विमुक्त हुआ या नहीं के साथ ही साथ केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि से सम्पोषित योजनाओं के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना एवं विचार विमर्श कर प्रतिवेदन के माध्यम से अनुशंसा करना । (ग) समिति सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इस तथ्य को सुनिश्चित करेगी कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा का द्विरावृत्ति (डुप्लीकेशन) नहीं हो । (घ) समिति अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें ।